7/9/22, 3:51 PM about:blank

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2019.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापित महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015."

The motion was adopted.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

about:blank 1/1